प्रेस नोट 28.08.2020

संगठित अपराध/अपराधियों के विरूद्ध जनपद मऊ पुलिस–प्रशासन द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में **आज दिनांक 28.08.20 को थाना कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत बन्धा रोड स्थित ग्रीन लैण्ड पर मुख्तार अंसारी अपराधिक गिरोह के संरक्षण में बनाया गया अवैध स्लाटर हाउस को जनपद मऊ पुलिस–प्रशासन द्वारा नगर मजिस्ट्रेट के आदेश पर गिराया गया।**

यह भी उल्लेखनीय है कि अवैध स्लाटर हाउस के विरूद्ध मऊ पुलिस द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में उक्त स्लाटर हाउस के संचालन में सलिप्त अपराधियो के विरूद्ध वर्ष 2019 में मु0अ0सं0 317/19 धारा 153ए,420,429 भादवि0 11 पशुक्रूरता अधिनियम, 7/8 पर्यावरण अधिनियम का अभियोग 25 लोगों के विरूद्ध पंजीकृत किया गया था। जिसमें मुख्य 08 अपराधियों के विरूद्ध वर्ष 2020 में गैगेस्टर की कार्यवाही कर गिरफ्तार किया गया तथा उनके विरूद्ध धारा 14(1) गैंगेस्टर एक्ट (संपत्ति जब्तीकरण) की कार्यवाही प्रचलित है।

उक्त स्लाटर हाउस माफिया मुख्तार अंसारी गिरोह के सरक्षण में बनाया गया था जिसकी कीमत लगभग 40 लाख रूपये थी।

गैंगेस्टर एक्ट में वांछित हिस्ट्रीशीटर अपराधी सहित 02 शातिर गिरफ्तार, कब्जे से दो नाजायज तमंचा मय जिंदा कारतूस बरामद–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री मनोज कुमार सोनकर के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 27/28.08.20 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना कोतवाली पुलिस द्वारा गैगेस्टर एक्ट में वांछित हिस्ट्रीशीटर अपराधी राजू गिरी पुत्र सूर्यनाथ गिरी निवासी हरिकेशपुरा थाना कोतवाली मऊ के कब्जे से 01 तमंचा मय 02 अदद जिंदा कारतूस बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्तों के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 459/20 धारा 3/25 आयुद्ध अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।
थाना **मुहम्मदाबाद** पुलिस द्वारा देवलास के पास से लालू उर्फ गोलू यादव निवासी सूर्यबली निवासी जमीनकपारगढ़ थाना जियनपुर आजमगढ़ के कब्जे से एक अदद तमंचा मय 02 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 649/20 धारा 3/25 आयुद्ध अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

325 लीटर अवैध देशी कच्ची शराब बरामद, 09 व्यक्ति गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री मनोज कुमार सोनकर के निर्देशन में अवैध शराब कारोबार/कारोबारियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 27/28.08.20 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना **चिरैयाकोट** पुलिस द्वारा मनोहर पुत्र बालचन्द्र निवासी अल्देमऊ थान चिरैयाकोट मऊ के कब्जे से 10 लीटर अवैध देशी शराब, थाना **दोहरीघाट** पुलिस द्वारा अनिल पुत्र रामचन्द्र निवासी शंकरपुर, आलोक पुत्र रामबदन निवासी नगरीपार थाना दोहरीघाट के कब्जे से क्रमशः 20–40 लीटर, थाना घोसी पुलिस द्वारा बिहुला देवी पत्नी मुकेश निवासी सोहिलपुर के कब्जे से 40 लीटर, राजेश कुमार पुत्र बाबुलाल, मंगरू पुत्र सोमेरा निवासी सिन्हा लोहरदगा झारखण्ड दोनों के कब्जे से 80–80 लीटर, थाना **मधुबन** पुलिस द्वारा परशुराम यादव पुत्र शिवमंगल यादव निवासी लोकीपुर थाना मधुबन के कब्जे से 40

लीटर, थाना **मुहम्मदाबाद** पुलिस द्वारा नोनियापार से संजय पुत्र रामबचन निवासी रैकड़ थाना मुहम्मदाबाद के कब्जे से 05 लीटर, थाना **रानीपुर** पुलिस द्वारा सोहराब पुत्र मुनौवर निवासी चैनपुर थाना रानीपुर के कब्जे से 10 लीटर अवैध देशी कच्ची शराब बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्तों के विरूद्ध थाना सम्बन्धित पर धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

शांति भंग की आशंका में 21 व्यक्ति गिरफ्तार–

आज दिनांक 28.08.20 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान शांति भंग की आशंका में थाना **चिरैयाकोट** पुलिस द्वारा गोलू, अखिलेश, विकाश, सिकन्दर, आनन्द, अखिलेश निवासीगण सरसेना, राजा, राहुल निवासीगण पचिश्ता मोलनापुर थाना चिरैयाकोट, थाना **दोहरीघाट** पुलिस द्वारा महान, गंधराज निवासीगण बहादुरपुर थाना दोहरीघाट, थाना **कोपागंज** पुलिस द्वारा सुधीर सिंह, रंजित सिंह, रामअशीष निवासी टड़ियाव, नागेन्द्र, समीर निवासी नवोहट, अशोक, निवासी फतेहपुर तालनर्जा थाना कोपागंज, थाना **मधुबन** पुलिस द्वारा पंकज निवासी कटधराशंकर थाना मधुबन, थाना **सरायलखंसी** पुलिस द्वारा कमलेश, संतोष, पवन निवासीगण बभनीकोल, परजीत निवासी भीखमपुर थाना सरायलखंसी मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

कोविड–19 संक्रमण के दृष्टिगत जनपद मऊ पुलिस की कार्यवाही–

कारोना महामारी के दृष्टिगत जारी दिशा–निर्देशों के अनुपालन हेतु चलाये जा रहे चेकिंग अभियान के दौरान दिनांक 27.08.20 को सुबह 8 बजे से दिनांक 28.08.20 को सुबह 8 बजे तक जनपद के समस्त 357 बैरियर प्वाइंट (302 हाटस्पाट एरिया) पर चेकिंग के दौरान 07 व्यक्तियों के विरूद्ध 02 अभियोग पंजीकृत कर 02 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया तथा 1563 वाहनों को चेक किया गया जिसमें 68 वाहनों का चालान तथा 11 हजार 600 रुपये शमन शुल्क वसूले गये।

साथ ही साथ मास्क न लगाने पर किये गये 162 चालान व वसूले गये 08 हजार 200 रुपये जुर्माना तथा लाकडाउन का उलंघन करने पर 49 चालान व वसूले गये 03 हजार 400 जुर्माना सहित कुल 23 हजार 200 रुपये जुर्माना वसूला गया। जनपद में भीड़–भाड़ वाले जगहों, बैंको, बाजारों व महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के आस–पास सोशल डिस्टेंशिंग का अनुपालन कराया जा रहा है।